कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 222 / 11—सी—**FP/UP/Road/20102/2016**, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 01/08/2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषय— जनपद—रायबरेली में रा.रा.मार्ग सं.—24वीं किमी 83 से 84 के मध्य रेलवे सम्पार 24ए. उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु 0.2791 है0 संरक्षित वनभूमि पर गैरवानिकी कार्य व बाधक 06 वृक्षों के पातन के लिए अनुमति प्रस्ताव।

सन्दर्भ— मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक—198 / 14—10—4,, दिनांक 13.07.2016

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन करने पर उसमें निम्नांकित कमियाँ / त्रुटियाँ पाई गई है जिनका निराकरण किया जाना अपरिहार्य है।

1— प्रस्तावित वनभूमि के 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु चिन्ह्रीकरण व शीर्षक तथा प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

2— याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण—पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर व संरक्षित वनभूमि अंकित नहीं की गई है।

3— भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (चेक—लिस्ट—25) संलग्न है किन्तु ऑन—लाइन प्रस्ताव के अनुसार क्षेत्रफल अंकित नहीं है।

4— वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो के मान्य होने का अपूर्ण प्रमाण—पत्र संलग्न है तथा हस्ताक्षरित नहीं है।

5— प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि का 07 वर्षो का अनुरक्षण सहित संक्षिप्त प्राक्कलन संलग्न है। 10 वर्षो का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न किया जायें।

6— प्रस्तावित वनभूमि के जियो रिफरेन्सड डिजिटल मैप संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा के.एम.एल शेप फाइल की सी.डी भी संलग्न नहीं है।

7— क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित जियो रिफरेन्सड डिजिटल मैप संलग्न है, किन्तु शीर्षक गलत अंकित है, प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा सी0डी0 भी संलग्न नहीं है।

8— क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का सत्यापित व रंगीन मानचित्र संलग्न नहीं है।

9— क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्कता प्रमाण—पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

10— प्रमुख वन संरक्षक, लखनऊ के पत्रांक 1017 / 23 कोर्टकेस, दिनांक 11.11.11 के अनुसार वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रमाण—पत्र संलग्न नही है।

11— वन अधिकार अधिनियम—2006 के अर्न्तगत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु जिलाधिकारी सील अंकित नहीं है।

12— परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी / वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

13— मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नही है।

14— गैर वनभूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण के लिए भूमि स्वामित्व का सहमति पत्र संलग्न नहीं है।

15— कमानुसार अंकित, पृष्ठ तालिका की सूची संलग्न है किन्तु पृष्ठ संख्या अंकित नहीं की गई है।

16— On line data entry का Timeline Detail संलग्न नहीं है।

17— Eco Class के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नहीं है।

18— एन0पी0वी0 में बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्वता संलग्न नहीं है।

19— ऑन—लाइन एवं हार्ड कापी में परियोजना की लागत भिन्न—भिन्न अंकित की गई है।

20— ऑन—लाइन प्रस्ताव के अनुसार ही प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल प्रस्ताव में अंकित किया जायें।

21— पावर ऑफ एटार्नी संलग्न है किन्तु प्रमाणित नहीं है।

22— लीनियर प्लान संलग्न है किन्तु सक्षम अधिकारी की सील सहित हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

23— गजट नोटिफिकेशन की छाया प्रति संलग्न है किन्तु न तो चिन्हित और न ही प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित है।

24— ऑन—लाइन पार्ट—2 संलग्न नहीं है।

कृपया उपरोक्त कमियाँ / त्रुटियों के निराकरण करते हुए संशोधित एवं पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे कि इस कार्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सके। उक्त प्रस्ताव किसी भी कार्यालय दिवस में इस कार्यालय से अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

1/8/16

(अरविन्द गुप्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या— 222 / 11—सी—**FP/UP/Road/20102/2016** दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, रायबरेली।
2—परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण ईकाई, प्रतापगढ़।

1/8/16

(अरविन्द गुप्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।